जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
35/2016

मुन्तकिली प्रकरण सं0 35/2016 अनवानी 1—कालूराम उर्फ छबीलचंद 2—तीजादेवी पत्नि नथू राम जाति नायक निवासी 3वी हाल 22 जीबी तह0 विजयनगर 3—रामप्यारी पत्नि बीरबलराम बनाम 1— उपखण्ड मजि0 श्रीकरनपुर 2—मुन्शीराम पुत्र पतराम जाति नायक निवासी 8 एस तहसील करनपुर 3—अमरचंद 4— वेदप्रकाश 5—पिरथीराज 6—हरीराम 7—रामप्रताप 8—परमेश्वरी 9—रोशनी 10—सुनीता 11—सरोज 12—रूपसिंह 13—कालीसिंह 14—सम्मी 15—भगवानसिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.06.2016

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री रोहताष महेन्द्रा उपस्थित है। अप्रार्थीगण उपस्थित नही है। प्रार्थीगण के अभिभाषक को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिली
प्रा0 पत्र उपजिला मजि0, श्रीकरनपुर के न्यायालय में लंबित फौजदारी प्रकरण संख्या 8/2103 अनवानी स्टेट बनाम कालूराम वगैरा धारा 145 सीआरपीसी में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने के लिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 411 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपजिला मजि0, श्रीकरनपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है और खारिज करने योग्य है।

1208
4-7-16

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपजिला मजिस्ट्रेट, श्रीकरनपुर को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.06.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर